ायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि0न0 – 170 / 2023

अनवान : –

1. राकेश पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।

वादी

बनाम

1. सोहनलाल पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।
2. राजेन्द्र पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।
3. सुनीता पुत्री सोहनलाल जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।
4. कमलेश करीर पुत्री सोहनलाल जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।
5. राजबाला करीर पुत्री सोहनलाल जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।
6. सरोज पुत्री सोहनलाल जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।
7. पंजाब नेशनल बैंक शाखा नेठराना जरिये शाखा प्रबन्धक।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री श्रवण सहारण **वादी**
श्री श्रवण सहारण द्वितीय प्रतिवादी

निर्णय दिनांक: 20/11/24

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 1 बारानी के खाता सं0 63 / 113 की 4.554है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 सोहनलाल के नाम 1 / 3 हिस्सा एवं चक 3 बीआरडब्ल्यू के खाता सं0 148 / 97 की कुल 3.252है0 नहरी बारानी मय रास्ता खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1 / 3 हिस्सा तथा चक 7 एनटीआर के खाता सं0 116 / 89 की कुल 2.277है0 नहरी मय खाला–रास्ता खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 सोहनलाल के नाम 1 / 3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति–रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल करने लगे। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी 1 ता 6 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 8 की ओर से ... पेश ... गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई ... बहस वकील वादी ... न किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें प्रतिवादीगण के साथ–साथ वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.11.27 12:42:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Scanned with OKEN Scanner

जन्म से हक हिस्सा निहित है अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही रोही मौजा चक 1 बारानी के खाता सं0 63/113 की 4.554है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 सोहनलाल के नाम 1/3 हिस्सा एवं चक 3 बीआरडब्ल्यू के खाता सं0 148/97 की कुल 3.252है0 नहरी बारानी मय रास्ता खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/3 हिस्सा तथा चक 7 एनटीआर के खाता सं0 116/89 की कुल 2.277है0 नहरी मय खाला–रास्ता खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 सोहनलाल के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों में जमाबंदी पैतृक से उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है। जिसमें वादी के साथ–साथ प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। पत्रावली में प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना अंकित है। उपरोक्त वाद भूमि में प्रतिवादीगण सं0 3 ता 6 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1–2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 बारानी के खाता सं0 63/113 की 4.554है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 सोहनलाल के नाम 1/3 हिस्सा एवं चक 3 बीआरडब्ल्यू के खाता सं0 148/97 की कुल 3.252है0 नहरी बारानी मय रास्ता खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/3 हिस्सा तथा चक 7 एनटीआर के खाता सं0 116/89 की कुल 2.277है0 नहरी मय खाला–रास्ता खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 सोहनलाल के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है [illegible] तन्हा प्रतिवादी सं0 1 सोहनलाल की बजाय वादी राकेश प्रतिवादी सं0 1 सोहनलाल प्रतिवादी [illegible]न्द्र को बहिस्सा बराबर अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रति[illegible] ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है अतः त्याग [illegible] हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शूल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व इसी अनुसार [illegible] रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन [illegible] के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त [illegible]। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20/11/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

(कल्पित शिवरान)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.11.27 12:42:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस

मि0न0 – 170/2023

अनवान : –

1. राकेश पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।

वादी

बनाम

1. सोहनलाल पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।
2. राजेन्द्र पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।
3. सुनीता पुत्री सोहनलाल जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।
4. कमलेश करीर पुत्री सोहनलाल जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।
5. राजबाला करीर पुत्री सोहनलाल जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।
6. सरोज पुत्री सोहनलाल जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।
7. पंजाब नेशनल बैंक शाखा नेठराना जरिये शाखा प्रबन्धक।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री श्रवण सहारण व वकील प्रतिवादीगण श्री श्रवण सहारण द्वितीय की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 बारानी के खाता सं0 63/113 की 4.554है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 सोहनलाल के नाम 1/3 हिस्सा एवं चक 3 बीआरडब्ल्यू के खाता सं0 148/87 की कुल 3.252है0 नहरी बारानी मय रास्ता खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/3 हिस्सा एवं चक 7 एनटीआर के खाता सं0 116/89 की कुल 2.277है0 नहरी मय खाला–रास्ता खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 सोहनलाल के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 सोहनलाल की बजाय वादी राकेश प्रतिवादी सं0 1 सोहनलाल प्रतिवादी सं0 2 बहिस्सा बराबर अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं0 3 ता 6 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शूल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/11/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(कल्पित शिवरान)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व, R.A.S
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.11.27 12:42:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner